problems, non-availability of forest land, Shortage of funds, change in scope of the project etc.

There is a Monitoring and Evaluation Division located at Siliguri which monitors the progress of the project regularly. All the Central level monitoring is carried out by Central Water Commission.

सिंचाई परियोजनाओं हेतु योजनाएं

1023.**श्री रामजीलाल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत दो वर्षो के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई है;

(ख) परियोजनाएं कहां-कहां लगाई गई हैं और इन परियोजनाओं का कब तक उपयोग किए जाने की संभावना हैं;और

(ग) भविष्य के लिए कौन सी योजनाएं हैं तथा उनमें से हरियाणा में कितनी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और(ख) सिंचाई राज्य का विषय और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना,वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है।

(क) हरियाणा राज्य के नौंवी योजना के प्रलेख में उनके द्वारा किए गये प्रस्ताव के अनुसार नई वृहद सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत(करोड़ रू.में)
1.	मेवात लिफ्ट सिंचाई	207.54
2.	घरौंदा सिंचाई	7.45
3.	जत्तीपुर माइनर	2.84
4.	लदवा सिंचाई	25.00
5.	नालवी सिंचाई	113.00

सिंचाई के प्रबंधन में किसानों को कानूनी सहायता दिया जाना

1024.**श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु इसके प्रबंधन में किसानों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)क्या हाल ही में दिल्ली में सिंचाई के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मलेन में कुछ सिफारिशें की गई थी;

(घ)यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और

(ड़) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) चूंकि जल राज्य का एक विषय हैं इसलिए राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम पारित करने के लिए आवश्यक वैधानिक सहायता उपलब्ध करायी जानी हैं । तथापि,जल संसाधन मंत्रालय मे राज्य सरकारों को मौजूदा सिंचाई अधिनियमों में संशोधन करने अथवा सिंचाई प्रबंधन में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नए अधिनियमों के बनाने का परामर्श दिया है जिसके अंतर्गत सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसान सक्रिय रूप से भाग ले सके । इस संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा निर्देश उपलबध कराये गये हैं।

(ग) और(घ) जी,हां । सहभागिता सिंचाई प्रबंधन पर दिल्ली में जनवरी,1997 में आयोजित अतिंम राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंचाई प्रबंधन में किसानों की सहभागिता के विषयमें सिफारिश की गयी थी जिसे संलग्र विवरण में दर्शाया गया है।

(ड़) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिये निम्रलिखित कार्रवाई की गयी हैं:-

जल के राज्य का विषय होने के नाते केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका सुविधादाता की है । जबकि राज्य सरकारों द्वारा सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन का कार्यान्वित करना हैं । राष्ट्रीय जल नीति 1987 में सिफारिश की गयी है कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों को उत्तरोत्तर शामिल किया जाना चाहिए । सिंचाई प्रबंध में किसानों को शामिल करने के लिए उपाय करने के वास्ते राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।